

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग  
आदेश संख्या-05/स्था0 256/2007 (खण्ड).....दिनांक...../

आदेश

विभागीय आदेश सं0-5928 दिनांक 21.11.2013 द्वारा श्री संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई को महात्मा गाँधी टॉल प्लाजा (चेकपोस्ट), वैशाली, हाजीपुर में ओवरलोडेड एवं अनियमित वाहनों की जाँच हेतु प्रतिनियुक्ति की गई थी जिसे आदेश संख्या- 6222 दिनांक 04.12.2013 द्वारा दिनांक 31.12.2013 तक विस्तारित की गई थी। पुनः कार्य हित में श्री कुमार का प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 20.01.2014 तक विस्तारित की जाती है।


2. उक्त विभागीय आदेश संख्या 5928 दिनांक 21.11.2013 की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

ह0/-  
प्रधान सचिव  
-सह-  
राज्य परिवहन आयुक्त  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 6734.

पटना, दिनांक 31/12/2013

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं वैशाली (हाजीपुर)/विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं वैशाली (हाजीपुर)/श्री संजय कुमार एवं श्री संजीव कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जमुई एवं मुंगेर/आई0 टी0 ~~मैनेजर~~ कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी शाखा-3, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव  
-सह-  
राज्य परिवहन आयुक्त  
बिहार, पटना।